**23**

**ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति**

**(2021-22)**

**सत्रहवीं लोक सभा**

# विद्युत मंत्रालय

**[विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]**

**तेइसवां प्रतिवेदन**

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**मार्च, 2022/ फाल्गुन,1943(शक)**

**तेइसवां प्रतिवेदन**

**ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति**

**(2021-22)**

**(सत्रहवीं लोक सभा)**

**विद्युत मंत्रालय**

**[विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ]**

**22.03.2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया**

**22.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया**

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**मार्च / फाल्गुन,1943 (शक)**

**सीओई सं.347**

**मूल्यः रुपये.....**

**© 2022 लोक सभा सचिवालय**

**लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और द्वारा मुद्रित**

## विषय सूची


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| समिति (2021-22) की संरचना..... | | v |
| प्राक्कथन..... | | vii |
| अध्याय एक | प्रतिवेदन | 1 |
| अध्याय दो | टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है | 9 |
| अध्याय तीन | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है | 38 |
| अध्याय चार | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है | 39 |
| अध्याय पाँच | टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं | 40 |


### परिशिष्ट


| | | |
|---|---|---|
| एक. | समिति की 15 मार्च को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश | 41 |
| दो. | ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण | 43 |

## <u>ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना</u>

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति**

**<u>सदस्य</u>**

**<u>लोक सभा</u>**

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री देवेन्द्र सिंह भोले
4. श्री हरीश द्विवेदी
5. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
6. श्री किशन कपूर
7. डॉ. ए. चैल्ला कुमार
8. श्री सुनील कुमार मंडल ^
9. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
10. श्री अशोक महादेवराव नेते
11. श्री प्रवीन कुमार निषाद
12. श्री पी. वेलुसामी
13. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
14. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल@
15. श्री जय प्रकाश
16. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
17. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
18. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
19. श्री एस.सी. उदासी
20. श्री अखिलेश यादव

21 रिक्त #

**<u>राज्य सभा</u>**

22. श्री अजीत कुमार भुयान
23. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
24. श्री राजेन्द्र गहलोत*
25. श्री मुजीबुल्ला खान
26. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
27. श्री एस. सेल्वागनबेथी*
28. श्री संजय सेठ
29. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

30. श्री के.टी.एस. तुलसी

31. रिक्त $

**<u>सचिवालय</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. राम राज राय | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री आर.के. सूर्यनारायणन | - | निदेशक |
| 2. | श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा | - | अपर निदेशक |
| 3. | श्री मनीष कुमार | - | समिति अधिकारी |

---

^ श्रीमती साजदा अहमद के स्थान पर दिनांक 01.12.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

@ श्री रमेश चन्द्र कौशिक के स्थान पर दिनांक 07.2.2022 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

# समिति के गठन के समय से रिक्त ।

* दिनांक 11.11.2021 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

$ श्री जुगलसिंह लोखंडवाला द्वारा 02.12.2021 को समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया।

## प्राक्कथन

मैं, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह तेइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. सातवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 08 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया था । इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर 18 जनवरी, 2022 को प्राप्त हो गये थे ।

3. समिति ने 15 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

4. समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है ।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं ।

**नई दिल्ली;** **राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,**
**15 मार्च, 2022** **सभापति,**
**फाल्गुन 24, 1943 (शक)** **ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति**

## अध्याय-एक

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है ।

2. 7वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 08 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था । इस प्रतिवेदन में 17 टिप्पणियां / सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं ।

3. 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर 18 जनवरी, 2022 को प्राप्त हो गए हैं । इन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

क्रम सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 और 17

कुलः 17

अध्याय-दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

-शून्य-

कुलः 00

अध्याय-तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

-शून्य-

कुलः 00

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

कुलः 00

अध्याय-पांच

**4. समिति ने पाया कि 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22)' से संबंधित 7वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 08 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था । विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई उत्तर 03 महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 07 जून, 2021 तक भेजे जाने अपेक्षित थे । हालांकि, समिति यह पाती है कि मंत्रालय ने 07 महीने से अधिक समय के विलंब के पश्चात् 18 जनवरी, 2021 को अपेक्षित की-गई-कार्रवाई उत्तर भेजे हैं। चूँकि समिति द्वारा अनुदानों की मांगों की जांच एक वार्षिक प्रक्रिया है, अतः की-गई-कार्रवाई उत्तर भेजने में अत्यधिक विलंब इस प्रयोजन को निष्फल कर देता है क्योंकि समिति को मंत्रालय की आगामी वर्ष की मांगों की भी जांच करनी होती है और समयबद्ध रूप में तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। अतः समिति मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई उत्तर भेजने में किए जाने वाले इस प्रकार के विलंब की निंदा करती है। समिति ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मंत्रालय को सलाह दी कि वे समिति को समय पर उत्तर भेजने के प्रति अतिरिक्त रूप से सतर्क रहें । समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय में सभी संबंधितों को इस आशय के आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं कि भविष्य में समिति को उत्तर भेजने में समय-सीमा का कठोरता से पालन किया जाए । समिति आगे यह चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई विवरण इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर समिति को भेज दिया जाए ।**

5. अब समिति सरकार द्वारा उनकी उन टिप्पणियों/सिफारिशों जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर गुण-अवगुण के आधार पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है, पर की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

**(सिफारिश क्रम संख्या 12)**

**स्मार्ट ग्रिड**

6. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश/टिप्पणी की थी:

"समिति यह नोट करती है कि स्मार्ड ग्रिड्स के लिए 2021-22 हेतु केवल 40 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। राजकोषीय वर्ष 2020-21 हेतु भी यह राशि 40 करोड़ रुपये थी जिसे संशोधित करके कम अर्थात 20 करोड़ रुपये कर दिया गया। तथापि 2019-2020, 2018-19 और 2017-18 हेतु वास्तविक व्यय कम अर्थात क्रमशः 6.10 करोड़ रुपये, 7.13

करोड़ रुपये और 3.07 करोड़ रुपये रहा है। समिति इस शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय कार्य-निष्पादन से प्रसन्न नहीं है। अतः, इस योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा स्मार्ट ग्रिड हेतु निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे कि इस परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके।"

7. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"एनएसजीएम निधियों का उपयोग परियोजना कार्यान्वयन यूटिलिटियों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। तथ्य यह है कि मार्च, 2020 के बाद से, कोविड -19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन ने भी कार्यान्वयन यूटिलिटियों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया। चूंकि फील्ड कार्यान्वयन में देरी देखी गई है जिसके कारण यूटिलिटियों के दावों में देरी हुई है और परिणामस्वरूप कम व्यय हुआ है। तथापि, एनएसजीएम और एमओपी में नियमित समीक्षा के माध्यम से परियोजनाओं के तेज गति से कार्यान्वयन और निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।"

**8. समिति स्मार्ट ग्रिड पहल की शुरुआत से ही देश में विद्युत प्रणाली के लिए इसके लाभों पर विचार करते हुए इसके शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दे रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के धीमे कार्यान्वयन का कारण कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन होना है। बहरहाल, समिति चाहती है कि मंत्रालय इस महत्वपूर्ण योजना में तेजी लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करता रहे और नष्ट हुए समय की भरपाई करने का प्रयास करे। इस संबंध में की गई पहलों और तत्संबंधी परिणाम से समिति को अवगत कराया जाए।**

**(सिफारिश क्रम संख्या 13)**

**<u>स्मार्ट मीटर</u>**

9. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश/टिप्पणी की थी:

"समिति यह नोट करती है कि पारंपरिक विद्युत मीटरों की तुलना में स्मार्ट मीटर के कई लाभ हैं। स्मार्ट मीटर ऊर्जा के उपयोग को रियल टाइम/15 मिनट के अंतराल (मापन योग्य) को रिकॉर्ड कर सकता है और लगातार कंपनियों को डाटा प्रेषित कर सकता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मार्ट मीटर से कंपनी और घर/व्यवसाय के मध्य

द्विपक्षीय संप्रेषण संभव होता है और साथ ही साथ ऑनलाइन ऊर्जा लेखापरीक्षा इत्यादि में भी सहायता मिलती है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता की बिजली की खपत की निगरानी करने और इसे विनियमित करने में भी सहायता कर सकता है जिससे कि वे बिजली के बिलों पर बचत कर सकें। इन लाभों के कारण समिति देशभर में यथाशीघ्र स्मार्ट मीटर लगाए जाने का समर्थन कर रही है। समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि मंत्रालय भी अगले 3 वर्षों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इस समय-सीमा को राज्य विशिष्ट कारणों से 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है और इस संबंध में निर्णय राज्य विनियामक आयोग द्वारा लिया जाएगा। समिति को विश्वास है कि स्मार्ट मीटरिंग से न केवल वितरण कंपनियों की बिलिंग कलेक्शन बढ़ेगी अपितु अंतिम उपभोक्ता भी बिजली पर होने वाले अपने व्यय को प्रबंधित करने में सशक्त होगा। यह स्थिति दोनों पक्षों के लिए लाभकारी प्रतीत होती है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को स्मार्ट मीटरिंग अभियान को समयबद्ध मिशन मोड के रूप में लेना चाहिए जैसा कि ग्रामीण विद्युतीकरण और परिवारों को बिजली का कनेक्शन प्रदान करने के मामले में किया गया है।

समिति यह नोट कर आश्चर्यचकित है कि स्मार्ट मीटरिंग के लिए वर्ष 2021-22 हेतु निधियां आबंटित नहीं की गई हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में भी केवल 10 लाख रुपये का सांकेतिक आबंटन किया गया था। अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि स्मार्ट मीटरिंग से संबंधित कार्य को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस कार्य को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए तथा इस कार्य हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित की जाएं जिससे कि यह उपभोक्ता अनुकूल योजना वास्तव में शुरू की जा सके।"

10. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"एनपीएमयू, एनएसजीएम के तहत स्वीकृत स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं में स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। व्यय, कार्यान्वयन यूटिलिटियों के दावों से जुड़ा हुआ है। प्रीपेड मॉडल पर स्मार्ट मीटरिंग को सुधार संबद्ध वितरण स्कीम में लिया जा रहा है जो इस मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन है। प्रस्तावित "संशोधित सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध वितरण क्षेत्र स्कीम" में वितरण प्रणाली-उपभोक्ताओं, फीडरों और वितरण ट्रांसफार्मरों को कवर करते हुए उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) के एंड-टू-एंड तकनीकी समाधान की शुरुआत कर, एटी एंड सी हानियां कम करने के लिए मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण में मानव इंटरफ़ेस समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। यह उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर और डीटी और फीडरों के लिए संचारी मीटर संस्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगा जिसे एएमआई तंत्र के साथ एकीकृत किया जाना है। प्रस्तावित स्कीम के अंतर्गत 25 करोड़

स्मार्ट मीटर लगाए जाने की संभावना है जिनमें से दिसंबर, 2023 तक लगभग 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव है। निजी भागीदारी को शामिल करते हुए, पीपीपी मोड (डीबीएफओओटी) में ऐसी संस्थापना पर और बल दिया गया है, जो न केवल निजी क्षेत्र के लिए निवेश के अवसर उत्पन्न करेगा बल्कि डिस्कॉमों को बड़ा निवेश कर सकने के लिए संसाधन भी प्रदान करेगा।"

**11. समिति यह जानकर प्रसन्न है कि मंत्रालय ने 'संशोधित सुधार आधारित और परिणाम सम्बद्ध वितरण क्षेत्र योजना' का प्रस्ताव किया है, जिसमें उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) के एंड-टू-एंड तकनीकी समाधान की शुरुआत करके संग्रहीत तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करने के लिए मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण में मानव इंटरफेस को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावित योजना के तहत दिसंबर, 2023 तक 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटरों के साथ लगभग 25 करोड़ स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। समिति उम्मीद करती है कि मंत्रालय इस योजना को जल्द से जल्द अंतिम रूप देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।**

**(सिफारिश क्रम संख्या 14)**

12. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश/टिप्पणी की थी:

"समिति उत्तर प्रदेश में अगस्त, 2020 के दौरान 1.5 लाख समार्ट मीटर वाले घरेलू कनेक्शनों को हटाए जाने की घटना के वास्तविक कारणों के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर को नोट कर चिंतित है। साक्ष्य के दौरान समिति को बताया गया कि ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा इस घटना की जांच की गई और कनेक्शन एचईएस (हेड एंड सिस्टम) से हटाए जा रहे हैं और इसे अब एमडीएम पर ले जाया गया है जो कि ज्यादा बेहतर है। आगे यह भी बताया गया कि अभी तक वे साइबर सुरक्षा संबंधी पहलू या जानबूझकर पहुँचाई गई अन्य किसी हानि से संबंधित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं तथा ईईएसएल से इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। चूंकि देश में स्मार्टग्रिड और स्मार्ट मीटरिंग प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर आगे ले जाने का निर्णय लिया गया है, अतः समिति की राय है कि यदि हमारे पास समय पर इनका समाधान करने के लिए कोई त्रुटिरहित योजना नहीं है तो ऐसे मामलों से ऊर्जा क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो सकता है। चूंकि समिति का विश्वास है कि विद्युत

प्रणाली की साइबर सुरक्षा का मामला बेहद महत्वपूर्ण है, अतः समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस मामले को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए और इस संबंध में प्रभावी और पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने चाहिए।"

13. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"12 अगस्त 2020 की भारी संख्या में कनेक्शन काटने की घटना ने स्मार्ट मीटर स्थापना को बाधित कर दिया है; इसका मुख्य कारण "लक्ष्य समूह के स्थान पर सभी समूहों पर कमांड का निष्पादन' और एमडीएमएस (मीटर डेटा प्रबंधन प्रणाली) के स्थान पर एचईएस (हेड एंड सिस्टम) से उत्पन्न कमांड बताया जा रहा है। यूपी एएमआई तंत्र का सुरक्षा ऑडिट एसटीक्यूसी के माध्यम से किया जा रहा है और अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है। ईईएसएल इस प्रणाली के लिए यूएटी कर रहा है। यह ध्यान दिया जाए कि साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित खंड (खंड 3.7 और 3.8) जनवरी 2021 में एचएमओएसपी (आई/सी) द्वारा विधिवत अनुमोदित ओपेक्स मॉडल पर एएमआई सेवा प्रदाता (एएमआईएसपी) की नियुक्ति के लिए मानक बोली दस्तावेजों में उपयुक्तत: शामिल किए गए हैं जो https://www.nsgm.gov.in/sites/default/files/AMISP-Contract-January-2021.pdf पर उपलब्ध हैं।"

**14. उत्तर प्रदेश में अगस्त 2020 के दौरान स्मार्ट मीटर वाले 1.5 लाख घरेलू कनेक्शनों को हटाए जाने की घटना के संबंध में, मंत्रालय ने बताया है कि उत्तर प्रदेश एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) प्रणाली की सुरक्षा लेखापरीक्षा मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) के माध्यम से की जा रही है और अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। समिति के लिए यह चिंता का विषय है कि डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी इस संबंध में जांच पूरी होनी बाकी है। समिति बार-बार मंत्रालय को स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली के लिए संभावित साइबर हमले के खतरे के बारे में चेतावनी देती रही है। चूंकि सरकार ने बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है, इसलिए समिति चाहती है कि उत्तर प्रदेश उन्नत मीटरिंग अवसंरचना प्रणाली की यथाशीघ्र सुरक्षा लेखापरीक्षा के उपरांत उसके परिणाम के आधार पर साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की गहन समीक्षा की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक त्रुटिरहित तंत्र विकसित और स्थापित किया जाए।**

**(सिफारिश क्रम संख्या 15)**

**<u>राष्ट्रीय विद्युत नीति</u>**

15. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश/टिप्पणी की थी:

"समिति यह नोट करती है कि वर्तमान राष्ट्रीय विद्युत नीति वर्ष 2005 में स्वीकार की गई थी। इसका उद्देश्य सभी परिवारों को बिजली की पहुँच और उपलब्धता सुनिश्चित करना, विद्युत की मांग को पूरा करना, प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता को हजार से अधिक तक बढ़ाना इत्यादि जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करना है। समिति यह पाती है कि चूंकि राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 के वर्णित उद्देश्यों में से अधिकांश को प्राप्त कर लिया गया है, अतः अब इसमें तेजी से बदलते विद्युत क्षेत्र की आकांक्षाएं, चुनौतियां और समीकरण परिलक्षित नहीं होते हैं। इसलिए समिति का पुरजोर रूप से मानना है कि एक नई राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाई जानी चाहिए। साक्ष्य के दौरान सचिव, विद्युत मंत्रालय ने इस प्रकार पर सहमति दी और समिति को बताया कि मंत्रालय इस नीति में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। तथापि, समिति यह सिफारिश करती है कि मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति में थोड़े बहुत संशोधन करने की बजाय विद्युत क्षेत्र के बदलते हुए परिदृश्य की आवश्यकताओं के अनुसार एक नई नीति तैयार की जाए जिससे कि यह समग्र विद्युत क्षेत्र के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सके और इसकी भावी वृद्धि और विकास के लिए सुसंगत मार्ग प्रशस्त कर सके।"

16. मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:

"दिनांक 12.4.2021 को राष्ट्रीय विद्युत नीति 2021 का मसौदा तैयार करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2021 तैयार करने और उसकी सिफारिश करने के लिए मई, 2021/जून 2021 में राज्यों के प्रतिनिधियों सहित सभी पणधारियों के साथ बातचीत की गई थी। दिनांक 27.04.2021 को परिचालित एनईपी, 2021 के मसौदे पर विभिन्न पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की जा रही है। समग्र रूप से विद्युत क्षेत्र की भावी उन्नति और विकास को ध्यान में रखते हुए, विशेषज्ञ समिति वर्तमान एनईपी में संशोधन करने पर काम कर रही है।

आशा है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2021 तक एनईपी, 2021 का मसौदा प्रस्तुत कर दिया जाएगा।"

**17. समिति यह जानकर प्रसन्न है कि सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति का मानना है कि उक्त विशेषज्ञ समिति इस समय तक मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी होगी। समिति चाहती है कि समुचित प्रक्रिया समयबद्ध रूप में पूरी करने के पश्चात नई राष्ट्रीय विद्युत नीति शीघ्र तैयार की जाए और समिति को तदनुसार सूचित किया जाए।**

## अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर  किया है

### सिफारिश संख्या 1

***<u>बजटीय आवंटन</u>***

समिति नोट करती है कि मंत्रालय को 15,322 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, हालांकि उन्होंने 30,155 करोड़ रुपये की मांग की थी। पिछले वर्षों की विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से पता चलता है कि मंत्रालय को लगातार उनकी मूल मांगों से 50% से भी कम धनराशि आवंटित की गई है। मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 में 33,366 करोड़ रुपये की मांग की थी और उन्हें केवल 15,874 करोड़ रुपये मिले। ठीक इसी प्रकार, वर्ष 2019-20 और 2018-19 में, मंत्रालय ने क्रमशः 32,001 करोड़ रुपये और 36,843 करोड़ रुपये की मांग की थी, परंतु उन्हें क्रमशः 15,874 करोड़ रुपये और 15,046 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। समिति यह भी पाती है कि जहां तक पिछले तीन वर्ष अर्थात वर्ष 2019-20, 2018-19 और 2017-18 में निधियों के उपयोग का संबंध है, विद्युत मंत्रालय का पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड संतोषजनक रहा है क्योंकि जितनी भी धनराशि आवंटित की गई, उसका पूरा उपयोग करने में मंत्रालय सफल रहा है। राजकोषीय वर्ष 2020-21 हेतु, मंत्रालय ने धनराशि के उपयोग किए जाने की धीमी गति का कारण अप्रैल, 2020 से कोविड-19 महामारी की वजह से किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को बताया है। समिति की सुविचारित राय है कि विद्युत मंत्रालय के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए उसके बजटीय प्रावधानों में वृद्धि किए जाने की जरूरत है क्योंकि उनके कार्यक्रम विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे न केवल बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति में महत्वपूर्ण सुधार होगा और सभी तक इसकी पहुँच सुनिश्चित होगी बल्कि इससे दीर्घावधि में सरकार के लिए वित्तीय बचत भी होगी। अतएव, समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि यदि ऐसा आवश्यक हो तो विद्युत मंत्रालय हेतु बजटीय आबंटन में तर्कसंगत वृद्धि की जाए ताकि मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। इस तथ्य के दृष्टिगत कि विद्युत मंत्रालय की दो अग्रणी योजनाएं नामतः आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई लगभग एक वर्ष के अंदर समाप्त होने जा रही हैं, यह आवश्यक है कि विद्युत मंत्रालय सर्वप्रथम, आवंटित निधियों का शीघ्रतम उपयोग करने का प्रयास करे ताकि उनके पास संशोधित प्राक्कलन चरण पर अतिरिक्त निधियों की मांग करने के लिए पर्याप्त तर्क हो जिसे इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं कि एक सुसंगत और समयबद्ध व्यवस्थित योजना के माध्यम से सबल बनाया जा सकता है। समिति का यह भी मानना है कि मंत्रालय के लिए यह उपयुक्त समय है कि वह वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को ध्यान में रखते

हुए विद्युत क्षेत्र के लिए समग्र रूप से एक स्पष्ट रोडमैप और एक सुसंगत रणनीति सामने लेकर आए।

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

विद्युत मंत्रालय पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ब.प्रा./सं.प्रा. आवंटन की तुलना में राशि के उपयोग के संबंध में प्रस्तुत करने पर विचार करने के लिए माननीय समिति को अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है। पुन:, विद्युत मंत्रालय विद्युत क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की अनुशंसा करने के लिए माननीय समिति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता है। माननीय समिति द्वारा की गई सिफारिश को संशोधित प्राक्कलन (2021-22) और बजट प्राक्कलन (2022-23) को अंतिम रूप देने के लिए बजट पूर्व चर्चा के समय वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा।

आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई योजनाओं के संबंध में, विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए योजनों के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी और समीक्षा के माध्यम से सभी प्रयास किए जाएंगे, ताकि संशोधित प्राक्कलन के चरण पर अतिरिक्त मांगों की मांग की जा सके।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(4) में प्रावधान है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) तैयार करेगा और ऐसी योजना को पांच वर्षों में एक बार अधिसूचित करेगा।

राष्ट्रीय विद्युत योजना देश के बिजली क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दस्तावेज है और विकासकर्ताओं को बिजली उत्पादन, पारेषण और सीमेंट, स्टील, खनन, आदि जैसे अन्य उद्योगों में भावी निवेश करने के लिए संकेत देता है। उत्पादन आयोजना के आधार पर देश में पारेषण नेटवर्क आयोजना के लिए विस्तृत रोड मैप कार्यान्वित किया जाता है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार बिजली की मांग के पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए अगले 10 वर्षों के लिए उत्पादन और पारेषण क्षमता विस्तार आवश्यकताओं के लिए विस्तृत रोडमैप देती है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना में पूर्वानुमानित क्षमता वृद्धि को पूरा करने के लिए सीमेंट, स्टील और अन्य सामग्री जैसे प्रमुख निवेशों की आवश्यकता, विनिर्माण सुविधाओं का

आकलन, ईंधन के परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं, गैस पाइपलाइन नेटवर्क, बंदरगाह विकास, रेल अवसंरचना और मानव संसाधन की आवश्यकता का भी प्राक्कलन करती है। यह प्रक्षेपित ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंधन की आवश्यकता और इसकी उपलब्धता और इसके पर्यावरणीय प्रभाव (विशेषकर कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन) पर भी प्रकाश डालती है। यह क्षमता अभिवर्धन के लिए भावी एनईपी योजना अवधि के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का संकेत देती है। यह बैंकिंग प्रणाली में क्षेत्रीय सीमाओं  के ढांचे को आशोधित करने और आरईसी और पीएफसी के लिए सीमाओं पर विशेष छूट देने में मदद करती है।

एनईपी तैयार करते समय, उत्पादन और पारेषण प्रौद्योगिकियों में नवीनतम वैश्विक प्रगति के साथ-साथ उनकी लागत प्रक्षेपण पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, आगे के वर्षों के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी मिश्र और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त भंडार क्षमता के साथ भार आवश्यकता को पूरा करने की आयोजना बनाते समय जलवायु परिवर्तन को कम करने की वैश्विक प्रतिबद्धताओं पर भी विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना को विद्युत क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है।

जैसा कि अधिनियम और नीति द्वारा अधिदेशित किया गया है, सीईए ने वर्ष 2017-22 की अवधि के लिए तृतीय राष्ट्रीय विद्युत योजना और 2022-27 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें 19वें इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार विद्युत मांग प्रक्षेपों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और पारेषण क्षमता विस्तार के लिए स्पष्ट रोडमैप को शामिल किया गया है। भावी विद्युत मांग का अनुमान लगते समय, विभिन्न एजेंसियों द्वारा आगामी वर्षों के लिए नियोजित विभिन्न मांग पक्ष प्रबंधन उपायों पर विचार किया जाता है। नवीनतम एनईपी में विस्तृत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि आवश्यकता और पारेषण क्षमता अभिवृद्धि आवश्यकता, पुराने संयंत्रों की सेवानिवृत्ति योजना और पुराने संयंत्र का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण आदि शामिल हैं।

वर्ष 2021-22 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) से 175 गीगावाट संस्थापित क्षमता हासिल करने के भारत सरकार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तृतीय राष्ट्रीय विद्युत योजना में उत्पादन क्षमता वृद्धि आयोजना बनाई गई है। ग्रिड एकीकरण की अतिरिक्त चुनौती  का भी विस्तार से अध्ययन किया गया क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से पवन और सौर ऊर्जा आंतरायिक है और इन चुनौतियों से निपटने के उपायों पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय ग्रिड में उच्च नवीकरणीय प्रवेशन को देखते हुए, रैंपिंग की

आवश्यकता, ताप विद्युत संयत्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी भार, थर्मल उत्पादन के लचीलेपन आदि जैसे मुद्दों का राष्ट्रीय विद्युत योजना में दक्षतापूर्वक समाधान किया गया है।

एनईपी वॉल्यूम I (उत्पादन), वॉल्यूम II (पारेषण) सीईए की वेबसाइट www.cea.nic.in पर उपलब्ध है।

वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए उत्पादन और पारेषण विस्तृत योजना और वर्ष 2027-32 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना को शामिल करते हुए नई राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार की जा रही है।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

**सिफारिश संख्या 2**

समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 हेतु 15,322 करोड़ रुपये के बजट प्राक्कलन के अलावा, विशेषकर डीडीयूजीजेवाई (3,250 करोड़ रुपये) और आईपीडीएस स्कीम (6,050 करोड़ रुपये) के लिए कुल 9,300 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) जुटाए जाने का प्रावधान है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना है। समिति का मानना है कि चूंकि ईबीआर की व्यवस्था होने से इन दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं की वित्तीय जरूरतें काफी हद तक पूरी होंगी, अतः वित्त मंत्रालय से शीघ्र अनुमोदन प्राप्त किया जाए। समिति यह भी चाहती है कि वित्त मंत्रालय को प्रस्तावित ईबीआर का पूर्ण उपयोग करने हेतु उद्यम और जोर-शोर से प्रयास करने चाहिए।

**सरकार का उत्तर**

वित्त मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से ईबीआर बढ़ाने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है, लेकिन 5300 करोड़ रुपये (आईपीडीएस के लिए) और 3600 करोड़ रुपये (डीडीयूजीजेवाई के लिए) के बजट प्राक्कलन की तुलना में अनुपूरक में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

नोट: यदि आवश्यक हो, उपरोक्त दो प्रमुख स्कीमों में अतिरिक्त आवश्यकता के लिए प्रस्ताव अगली अनुपूरक के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

## सिफारिश संख्या 3

***<u>दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)</u>***

समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के लिए बजटीय आवंटन 4,500 करोड़ रुपये था जबकि वास्तविक उपयोग (30.01.2021 तक) मात्र 931 करोड़ रुपये था। इस अवधि के दौरान ईबीआर के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी जुटाई गई और उसका उपयोग किया गया। समिति इस बात को समझती है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण निधियों का उपयोग बजट अनुमान के स्वीकृत स्तर तक नहीं हो सका। तथापि समिति को यह भी जानकारी है कि डीडीयूजीजेवाई योजना मात्र राजकोषीय वर्ष 2021-22 तक ही उपलब्ध है। इसलिए समिति की राय है कि इस योजना के अंतर्गत परिकल्पित कार्यों को कोविड-19 महामारी के दौरान नष्ट हुए समय की भरपाई करते हुए, राजकोषीय वर्ष 2021-22 के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए समिति यह चाहती है कि मंत्रालय को आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग करने मात्र के लिए ही नहीं बल्कि योजना के कार्यान्वयन की गति को और बढ़ाने हेतु सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए ताकि यदि आवश्यक हो तो उनके द्वारा पर्याप्त औचित्य के साथ संशोधित अनुमान चरण पर अतिरिक्त निधियों की मांग की जा सके।

## सरकार का उत्तर

डीडीयूजीजेवाई के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन और वास्तविक व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

| बजट प्राक्कलन | संशोधित प्राक्कलन | 31.03.2021 तक वास्तविक वयय |
|---|---|---|
| 2020-21 | 2020-21 | |
| 4500.00 | 2000.00 | 4484.77<br>(जीबीएस :1984.77 करोड़ और ईबीआर : 2500 करोड़) |

डीडीयूजीजेवाई की प्रगति की मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रगति में बाधा डालने वाले मुद्दों को तुरंत हल करने की सलाह देते हुए विशिष्ट विवरणों पर प्रकाश डालते हुए कोविड-19 महामारी से संबंधित सहित मुद्दों को नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों ऊर्जा के साथ उठाया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, डीडीयूजीजेवाई स्कीम समापन वर्ष में है और वित्तीय वर्ष 2021-22 तक उपलब्ध है, मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया है कि स्वीकृत कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना सुनिश्चित किया जाए और राज्यों को समय सीमा के विस्तार, जहां आवश्यक हो, अंतर-परियोजनाओं के बीच निधियों के परस्पर आवंटन की अनुमति आदि सहित स्कीम के समय पर और प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाए।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

## सिफारिश संख्या 4

समिति ने नोट किया है कि डीडीयूजीजेवाई के ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा दो अन्य घटक कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण तथा उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन हैं। जब समिति ने इन दोनों घटकों हेतु संचयी और वार्षिक लक्ष्यों के बारे में पूछा तो वह यह जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि इन घटकों के लिए कोई संचयी और वार्षिक लक्ष्य तय नहीं किए गए हैं। हालांकि, समिति को बताया गया कि भारत सरकार कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण और उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन सहित डीडीयूजीजेवाई के अन्य सभी घटकों को समय से पहले पूरा करने हेतु राज्य सरकारों पर दबाव डाल रही है। समिति के लिए यह समझना मुश्किल है कि आखिर मंत्रालय किन्हीं वास्तविक लक्ष्यों के अभाव में किस प्रकार से इस योजना के लिए वार्षिक बजटीय प्रावधानों को तय कर रहा है और योजना की निगरानी कर रहा है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले शेष कार्य की मात्रा का वस्तुपरक और उचित ढंग से आकलन करे। समिति यह भी चाहती है कि इस योजना के अंतर्गत परिकल्पित कार्यों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाए।

## सरकार का उत्तर

डीडीयूजीजेवाई के तहत, सभी घटकों सहित स्वीकृत परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसके समापन से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय द्वारा सभी स्वीकृत परियोजनाओं और उसके घटकों के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और स्कीम के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान की जाती है।

डीडीयूजीजेवाई-नई परियोजनाओं के तहत स्वीकृत अधिकांश कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं और दिनांक 28.02.2021 की स्थित के अनुसार, देश में कुल प्रगति 94% है। गांव और घरेलू विद्युतीकरण को तेजी से पूरा करने की दिशा में अधिक ध्यान देते हुए कृषि और गैर-कृषि फीडरों के प्रथक्करण, उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और अभिवर्धन के तहत उपलब्धि सामान्यत: संतोषजनक रही है।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के नियंत्रण से बाहर के कारणों अर्थात् वन और रेलवे मंजूरी की प्राप्त में विलंब, सब-स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के मुद्दे, कानून और व्यवस्था के मुद्दे, कठिन भूक्षेत्र, कोविड-19 महामारी के

कारण प्रतिबंध मानदंड, खराब मौसम की परिस्थितियां, विधानसभा चुनाव, बड़े पैमाने पर बाढ़ आदि के कारण कुछ राज्यों में प्रगति धीमी है। स्कीम के प्रत्येक घटक के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों से वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसके समापन से पहले स्वीकृत कार्यों को जल्दी पूरा करना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

**सिफारिश संख्या 5**

***<u>एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)</u>***

समिति नोट करती है कि एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ बनाना, शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं का मीटरीकरण करना तथा रीयल टाइम डाटा अर्जन प्रणाली (आरटी-डीएएस) की स्थापना करना है। समिति ने पाया है कि इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्य से देश में एटीएंडसी हानियों जो कि अभी भी अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं, को कम करने में मदद मिलेगी। समिति को बताया गया है कि सरकार का उद्देश्य एटीएंडसी हानियों को कम करके 15 प्रतिशत के स्तर पर लाना है। समिति यह भी नोट करती है कि एक प्रतिशत एटीएंडसी हानि का अभिप्राय करीब 6,959 करोड़ रुपये की हानि है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में देश में एटीएंडसी हानि 22.03 प्रतिशत थी जिसके कारण विद्युत क्षेत्र में हो रही एटीएंडसी हानियों का समग्र मौद्रिक मूल्य 1,53,307 करोड़ रुपये है। समिति महसूस करती है कि ये आंकड़े काफी अधिक हैं तथा इसके लिए एटीएंडसी हानियों को अत्यावश्यक रूप से कम किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर को हासिल करने हेतु एटीएंडसी हानियों को कम करके 15 प्रतिशत से भी नीचे के स्तर पर लाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए।

**सरकार का उत्तर**

आईपीडीएस स्कीम शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण और वितरण नेटवर्क, मीटरिंग और आईटी सक्षमता में अंतराल को दूर करने के लिए पूंजीगत व्यय के प्रति वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से राज्य विद्युत डिस्कॉमों/विद्युत विभागों के संसाधनों का अनुपूरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में

गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करना है। आईपीडीएस के मुख्य घटक **i)** शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण**; ii)** शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और **iii)** वितरण क्षेत्र का आईटी समर्थीकरण और आर-एपीडीआरपी के तहत किए जा रहे वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण हैं।

आईपीडीएस के तहत स्वीकृत 547 सर्किलों में से**,** 497 सर्किलों में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं को पहले ही पूर्ण घोषित किया जा चुका है। जहां तक अन्य आईपीडीएस परियोजनाओं अर्थात् आईटी चरण-**II,** ईआरपी**,** आरटी-डीएएस**,** स्मार्ट मीटरिंग और जीआईएस सब स्टेशनों का संबंध है**,** कार्य विभिन्न डिस्कॉमों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एटीएंडसी हानियों में कमी के संदर्भ में आईपीडीएस का समग्र प्रभाव परियोजनाओं के पूरा होने और राज्य विद्युत डिस्कॉमों द्वारा हानियों को कम करने आदि के लिए आईपीडीएस के तहत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के कारगर उपयोग पर दिखाई देगा/दृष्टिगोचर होगा।

केंद्र सरकार ने 3**,**03**,**758 करोड़ रुपये के परिव्यय और भारत सरकार से 97**,**631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता के साथ वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए दिनांक 30.06.2021 को संशोधित वितरण क्षेत्र योजना-सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध योजना  को मंजूरी दी। यह योजना पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ वित्तीय सुधारों से जुड़े सहमत मूल्यांकन ढांचे के आधार पर मूल्यांकन किए गए डिस्कॉमों द्वारा बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्कों की उपलब्धि के आधार पर आपूर्ति अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉमों को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करके निजी क्षेत्रों के डिस्कॉमों को छोड़कर सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय संधारणीयता में सुधार करती है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर पर और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना है।

2. संशोधित वितरण क्षेत्र योजना-सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध योजना  का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20-07-2021 को जारी कर दिया गया है और स्कीम के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए योजना  की निगरानी समिति की पहली बैठक दिनांक 23-07-2021 को सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। स्कीम के दिशा-निर्देश भी दिनांक 27.7.21 को जारी कर दिए गए हैं।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

## सिफारिश संख्या 6

समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2021-22 हेतु आईपीडीएस के लिए 5,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान के बराबर है। समिति ने आगे नोट किया है कि इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्षों के दौरान किए गए आबंटन 5,500 करोड़ रुपये के इर्द-गिर्द रहे हैं। चूंकि राजकोषीय वर्ष 2021-22 इस योजना का समाप्ति वर्ष है, समिति आशा करती है कि मंत्रालय व्यय और कार्य की प्रगति पर लगातार नजर रखेगी ताकि इस योजना के लिए बजटीय आबंटन में किसी प्रकार की कमी की वजह से योजना के अंतर्गत हो रहे सभी लम्बित कार्यों के निर्धारित समय के अंदर पूरा होने में कोई बाधा न पहुँचे और यदि आवश्यकता पड़ी तो मंत्रालय संशोधित अनुमान चरण पर अतिरिक्त निधियों के आबंटन के लिए अनुरोध कर सकता है।

## सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय ने बजट प्राक्कलन के समय 11337 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव रखा था, जिसकी तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए आईपीडीएस के तहत 5300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 की समाप्त समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्राक्कलित बजट आवश्यकता (आर-एपीडीआरपी के तहत ऋण को अनुदान में बदलने के लिए आवश्यक राशि सहित) लगभग 11,337 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रगति और राशि के उपयोग के आधार पर और स्कीम की समापन तिथि अर्थात 31.03.2022 को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त धनराशि की, यदि कोई हो, के संशोधित प्राक्कलन स्तर या मांग की जाएगी।

**वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईपीडीएस के तहत व्यय योजना:**

(राशि करोड़ में)

| स्कीम | ब.प्रा. | ति.1 - वास्तविक | ति.2 | ति.3 | ति.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आईपीडीएस | 11337 | 400 | 836 | 2385 | 1679 | |

दिनांक 31.11.2021 की स्थिति के अनुसार, 5300 करोड़ आईपीडीएस के अंतर्गत 5300 करोड़ रूपये के बजट आवंटन की तुलना में विद्युत मंत्रालय द्वारा 1593.72 करोड़ रूपये जारी कर दिए गए हैं।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

## सिफारिश संख्या 7

**<u>पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान</u>**

समिति ने पाया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान "पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान" शीर्ष के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत 2980.50 करोड़ रुपये तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत 2640.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। हालांकि, 27.01.2021 तक क्रमश: 102.23 करोड़ रुपये और 1440.87 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जो कि इस वर्ष के लिए किए गए आबंटनों से काफी कम हैं तथा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इस शीर्ष के अंतर्गत काफी राशि अप्रयुक्त रह जाने की संभावना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूंजीगत आस्तियां अवसंरचना विकास हेतु मूलभूत आवश्यकताएं हैं तथा ऐसी आस्तियां अर्थव्यवस्था के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए दीर्घावधि आधार प्रदान करती हैं, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को कार्यान्वयन को जमीनी स्तर पर सुचारू बनाना चाहिए तथा ठोस निगरानी के तहत उनकी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करना चाहिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण शीर्ष के अंतर्गत आबंटित धनराशि अप्रयुक्त न रह जाए।

### सरकार का उत्तर

आईपीडीएस के अंतर्गत, "पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान" शीर्ष के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित संपूर्ण बजट (आरई) का उपयोग किया जा चुका है और इसका विवरण नीचे दिया गया है: रुपये का बजट आवंटन।

(राशि करोड़ रुपयों में)

| **बजट शीर्ष** | **ब.प्रा. 2020-21** | **सं.प्रा. 2020-21** | **31.03.2021 तक वित्तीय वर्ष 2020-21 में वास्तविक उपयोग** |
|---|---|---|---|
| पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | 2640 | 2360 | 2360 |

आरई 2020-21 के शीर्ष "पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान" के अनुसार, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत 1108 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इसे मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार इस राशि का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

## सिफारिश संख्या 8

**<u>जनजातीय क्षेत्र उप-योजना और अनुसूचित जनातियों की विशेष घटक योजना हेतु निधियों का आबंटन</u>**

समिति पाती है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना और अनुसूचित जाति की विशेष घटक योजना हेतु आबंटन की राशि क्रमशः 387.00 करोड़ रुपये और 747.00 करोड़ रुपये थी। इसी तरह, एकीकृत बिजली विकास योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत 400.00 करोड़ रुपये और अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना के तहत 750.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत 140.00 करोड़ रुपये और 70.00 करोड़ रुपये ऋण के रूप में आबंटित किए गए थे। इस प्रकार, निधियों के आबंटन के विश्लेषण से पता चलता है कि उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घटक के लिए कुल आवंटन 2494.00 करोड़ रुपये का है, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विद्युत मंत्रालय के कुल 15874 करोड़ रुपये बजटीय आबंटन का लगभग 15.71% है। हालांकि, समिति यह नोट करके चिंतित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घटकों के तहत उपरोक्त सभी योजनाओं पर 27.01.2021 तक कुल व्यय 1044.01 करोड़ रुपये रहा। समिति महसूस करती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घटकों के तहत आवंटन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को एक मिशन मोड में बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से किए जाते हैं ताकि समाज के वंचित वर्गों को उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सक्षम बनाने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकें और इसलिए, समिति का विचार है कि इन घटकों के तहत आवंटित निधि का न केवल पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए बल्कि साथ ही साथ, इस बात की भी बारीकी से निगरानी की जाए कि निधियों के इस प्रकार के आवंटन से जुड़े लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय योजना के लागत-लाभ विश्लेषण का कार्य करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित विभागों से आंकड़ा संग्रहण के द्वारा प्रभावी निगरानी करे और यह भी पता लगाए कि क्या इस तरह के आवंटन के उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं।

**सरकार का उत्तर**

आईपीडीएस के अंतर्गत 5300 करोड़ रुपये के बीई की तुलना में आरई के अंतर्गत 4000 करोड़ रूपये प्रदान किए गए थे। "आदिवासी क्षेत्र उप-योजना और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" शीर्ष के तहत आवंटित संपूर्ण बजट (आरई) का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईपीडीएस के तहत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जा चुका है:

(राशि करोड़ रुपयों में)

| **बजट शीर्ष** | **ब.प्रा.** 2020-21 | **सं.प्रा.** 2020-21 | 31.03.2021 **तक वित्तीय वर्ष** 2020-21 **में वास्तविक उपयोग** |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट घटक योजना - आईपीडीएस अनुदान | 750 | 450 | 450 |
| जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-आईपीडीएस अनुदान | 400 | 150 | 150 |
| अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट घटक योजना - आर-एपीडीआरपी ऋण | 140 | 45 | 45 |
| जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - आर-एपीडीआरपी ऋण | 70 | 15 | 15 |
| **कुल** | 1360 | 660 | 660 |

आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी स्कीमें मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों/आईटी कार्यान्वयन के उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क की सुदृढ़ीकरण पर संकेंद्रित हैं और इनका शहरी बिजली वितरण क्षेत्र में सार्वभौमिक कवरेज हैं। परियोजनाओं को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत मंत्रालय की आईपीडीएस निगरानी समिति द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी बजट के एससीएसपी/टीएसपी घटक के अंतर्गत राज्य की एससी/एसटी जनसंख्या (आईपीडीएस के लिए 2011 की और आर-एपीडीआरपी के लिए 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार) के आधार पर एससीएसपी/टीएसपी घटकों के प्रति अनुपातिक उपयोग के रूप में लाभार्थी राज्य विद्युत यूटिलिटियों को निधियां जारी कर रहा है। इस प्रकार, आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत स्कीम के व्यक्तिगत लाभार्थियों का अभिनर्धारित और लागत लाभ विश्लेषण संभव नहीं हो सकता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना और अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के लिए

आवंटन क्रमश: 227.00 करोड़ रुपये (कुल बजटीय आवंटन का 11%) और 403.00 करोड़ रुपये (कुल बजट आवंटन का 20%) था, और इसे मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार इन राशियों का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

**सिफारिश संख्या 9**

***<u>ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)</u>***

समिति नोट करती है कि हमारा देश उत्सर्जन में वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 में 33-35 प्रतिशत कटौती करने के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रूप से विनिश्चित योगदान (एनडीसी) के प्रति प्रतिबद्ध है। समिति यह भी नोट करती है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) विद्युत संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता करने वाला नोडल केंद्रीय सांविधिक निकाय है। समिति आगे यह नोट करती है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा चलाई जा रही ऊर्जा दक्षता योजनाओं/कार्यक्रमों की वजह से 147 बिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा बचत और करीब 94,523 करोड़ रुपये की कुल लागत बचत हुई है जो कि करीब 161 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती के बराबर है। समिति इस बात से भी अवगत है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को 'गो-इलेक्ट्रिक' अभियान के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है जो कि आयातित ईंधन पर हमारी निर्भरता को घटाने के लिए बिजली के उपयोग को बढ़ाने की एक पहल है।

समिति नोट करती है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को वर्ष 2021-22 हेतु 117 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के 100 करोड़ रुपये के आबंटन से थोड़ा अधिक है। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण कार्यक्रमों के महत्व को स्वीकारते हुए समिति ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के विस्तार और उनको गहन बनाने की आवश्यकता पर जोर देती रही है। ऊर्जा दक्षता हेतु बजटीकृत निधियों के बेहतर उपयोग हेतु समिति निम्नलिखित सिफारिश करती हैः-

(i) वर्धित बजटीय आबंटन के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो निधियों का पूर्ण उपयोग करने हेतु अपनी प्रबंधकीय और प्रचालनात्मक क्षमता को बढ़ाए क्योंकि वे विगत में आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग करने में सफल नहीं रहे हैं।

(ii) ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण और ऊर्जा संरक्षण योजनाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करने हेतु मंत्रालय को विशेषकर एक अलग और विशिष्ट राज्य नामित एजेंसी (एसडीए) बनाने के लिए राजी करने हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की हर संभव सहायता करनी चाहिए।

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

**(i)** बीईई आवंटित परिव्यय का उपयोग कर सका है और यह गतिविधियों को चलाने के लिए पर्याप्त था। बीईई द्वारा की गई मांग के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा राशियां जारी की गईं। बीईई योजनाबद्ध गतिविधियों के अनुसार राशि का उपयोग करता है। बीईई द्वारा योजनाबद्ध गतिविधियों के लिए राशि का उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

इसके अलावा, बीईई पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रस्तावित सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सका है। इसलिए, कोई कमी नहीं देखी गई है।

वर्तमान में बजट प्रावधान पर्याप्त हैं क्योंकि ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में निवेश लाभार्थियों द्वारा किया जाता है और मंत्रालय/बीईई की भूमिका नीतियों और क्षमता निर्माण गतिविधियों को सुकर बनाने की है। बीईई के लिए बजटीय प्रावधानों में वृद्धि, देश में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन को अधिक सक्षम बनाएगी।

समय के साथ, बीईई की गतिविधियों में स्वीकृत जनशक्ति की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है। स्थापना की शुरुआत में 17 की स्वीकृत संख्या के साथ, बीईई वर्तमान में 29 की स्वीकृत संख्या के साथ काम कर रहा है और विभिन्न मोर्चों पर अपेक्षाओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

नियमित तकनीकी जनशक्ति के साथ संगठित संरचना के अभाव ने भी संगठन के विकास और इसके प्रदायगी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

वर्तमान मुद्दों का समाधान करने और वैश्विक समुदाय के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में योगदान करने के लिए, यह बहुत आवश्यक है कि बीईई अपनी प्रबंधकीय और प्रचालन क्षमता को बढ़ाए और समान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरूप स्थायी संधारणीय संरचना विकसित करे। मंत्रालय के मार्गदर्शन में, बीईई ने इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है और यह मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

**(ii)** विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने बार-बार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्टैंडअलोन एसडीए स्थापित करने के लिए समझाया है जो अनन्य रूप से ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में काम करेगा। माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने दिनांक 27 अगस्त, 2018 के पत्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर अपने राज्य में स्टैंडअलोन एसडीए की स्थापना का अनुरोध किया था।

इसके बाद डीजी, बीईई को 28 नवंबर, 2018 राज्यों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखा है। हाल ही में, माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निर्देश पर, स्टैंडअलोन एसडीए के लिए एक आदर्श संगठनात्मक संरचना का प्रारूप तैयार किया गया है। विद्युत मंत्रालय सभी राज्य सरकारों को इसे अपनाने के लिए अग्रेषित करने की प्रक्रिया में है।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

## सिफारिश संख्या 10

***<u>केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई)</u>***

समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 हेतु केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) के लिए 180 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2020-21 और 2019-20 में से प्रत्येक वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए थे। समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 और 2019-20 के लिए बजटीय आबंटन का उपयोग क्रमशः 178 करोड़ रुपये और 30 करोड़ रुपये रहा। समिति विशेषकर ऊर्जा भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा का ग्रिड में संग्रहण, सौर पीवी प्रणाली, विद्युत क्षेत्र की साइबर सुरक्षा, अपशिष्ट से ऊर्जा आदि से जुड़े अनुसंधान और विकास कार्य जो कि विद्युत क्षेत्र को और अधिक दक्ष बना सकते हैं और आयात पर निर्भरता को कम कर सकते हैं, के संवर्धन और प्रबलीकरण की बाध्यकारी आवश्यकता से अवगत है। इसके दृष्टिगत समिति पुरजोर रूप से यह महसूस करती है कि देश में विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तथापि समिति यह भी पाती है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान आबंटित निधियों के उपयोग के संबंध में सीपीआरआई का कार्य-

निष्पादन खराब रहा है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि उनके अनुसंधान और विकास आधार को बढ़ाए जाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि आबंटित निधियों का इष्टतम उपयोग किया जा सके और देश को ऊर्जा क्षेत्र में हो रही नवीनतम प्रौद्योगिकिय प्रगति का लाभ मिल सके।

**सरकार का उत्तर**

सीपीआरआई के लिए ब.प्रा. 2020-21 में 200 करोड़ रुपये के प्रावधान को संशोधित प्राक्कलन स्तर पर घटाकर 80 करोड़ रुपये करना पड़ा क्योंकि वर्ष 2020-21 के दौरान नियोजित खरीद को अमल में नहीं लाया जा सका क्योंकि संभावित बोलीदाताओं ने महामारी (कोविड 19) के कारण भाग नहीं लिया था। तथापि, 80 करोड़ रुपये का पूर्ण परिव्यय वर्ष 2020-21 में सीपीआरआई को जारी कर दिया गया था।

सीपीआरआई के बजटीय प्राक्कलन की गणना आवश्यक राशि ऐसी खरीद सहित जिसे वर्ष के दौरान पूरा किया जा सकता है, वार्षिक कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए की जाती है। विक्रेताओं को किया जाने वाला शेष भुगतान, एलसी (साख पत्र) की स्थापना के लिए भुगतान, और आर एंड डी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में, सीपीआरआई के लिए बजट प्राक्कलन में 180 करोड़ रुपये (पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 155 करोड़ रुपये और आर एंड डी स्कीमों के लिए 25 करोड़ रुपये) का प्रावधान रखा गया है। अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 155 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान में मौजूदा हाई पावर शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधाओं का अभिवर्धन, नासिक में नई इकाई की स्थापना और स्मार्ट ग्रिड अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना शामिल है।

अनुसंधान एवं विकास के संबंध में, सीपीआरआई को भारत भर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटी-खड़गपुर, आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-मद्रास आदि से साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, अपशिष्ट से ऊर्जा जैसे ग्रिड प्रौद्योगिकी और विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण और वितरण को शामिल करते हुए अन्य क्षेत्रों अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में नए शोध प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। सीपीआरआई को 71.89 करोड़ रुपये के परिव्यय के लगभग 175 शोध प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो चुके हैं जिन्हें तकनीकी समितियों के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जाना है। स्वीकृत परियोजनाओं की सहायता के लिए अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के लिए 25.00 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है।

जैसा कि समिति ने सुझाव दिया है, उनके अनुसंधान और विकास के आधार का विस्तार करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आवंटित राशियों का इष्टतम उपयोग किया जा सके और विद्युत क्षेत्र को नवीनतम तकनीकी विकास का लाभ मिल सके। यह विनिर्माताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद विकास में भी मदद करेगा और बदले में सभी के लिए 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यूटिलिटियों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद खरीदने में सहायता करेगा।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

**सिफारिश संख्या 11**

***<u>राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)</u>***

समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए आबंटित निधियों के उपयोग के संबंध में एनपीटीआई का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा है क्योंकि वे निधियों का पूर्ण उपयोग कर पाए हैं। तथापि, पिछले 2 वर्षों अर्थात 2019-20 और 2020-21 के दौरान उनका कार्य-निष्पादन अच्छा नहीं रहा है। 2019-20 में वे 69 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में केवल 28 करोड़ रुपये का ही उपयोग कर सके जबकि 2020-21 में 82 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान में से अभी तक उन्होंने निधि का कोई उपयोग नहीं किया है। आगे समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2021-22 हेतु एनपीटीआई को 70 करोड़ रुपये की घटी हुई राशि आबंटित नहीं की गई है।

विभिन्न सुधारों, तेजी से होते प्रौद्योगिकिय विकासों और वृहत अवसंरचना के सृजन के कारण विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होने के बावजूद समिति यह नोट कर आश्चर्यचकित है कि विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों के दौरान एनपीटीआई द्वारा बजट के उपयोग में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। समिति पिछले 2 वर्षों की विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांट के दौरान इस बात पर बल देती रही है कि प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाया जाए और इस संबंध में बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की जाए। तथापि, समिति का यह मानना है कि एनपीटीआई को आबंटित निधियों का प्रयोजनमूलक ढंग से पूर्ण उपयोग करने हेतु अवश्य प्रयास करने चाहिए जिससे कि विद्युत क्षेत्र की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं प्रभावित न हों।

**सरकार का उत्तर**

एनपीटीआई को भारत सरकार की ओर से अनुदान सहायता पेंशन फंड में अंशदान और पूंजीगत परिसंपत्तियों/प्रशिक्षण अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता तक सीमित है। विगत दो वर्षों के दौरान, एनपीटीआई के लिए बजट आवंटन में नीचे दिए गए कारणों से कमी आई है।

प्रशिक्षुओं की कम प्रतिभागिता और बाजार की मांग को देखते हुए एनपीटीआई के कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप बजट का कम उपयोग हुआ है।कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निजी संगठनों ने अपने स्वयं के प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एनपीटीआई में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए प्रतिभागियों की संख्या कम हुई है। तदनुसार इनके लिए व्यय कम रहा है।

कोविड -19 महामारी के प्रसार ने एनपीटीआई की प्रशिक्षण गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया था और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अधिकांश प्रशिक्षण गतिविधियों को रोक/रद्द कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप संगठन द्वारा कम व्यय किया गया है।

मार्च, 2021 में आयोजित एनपीटीआई की स्थायी समिति की 43वीं बैठक में योजना निधियों के उपयोग के मामले पर विचार-विमर्श किया गया है। एनपीटीआई की स्थायी समिति ने एनपीटीआई को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

- एनपीटीआई, फरीदाबाद में प्रशिक्षुओं के लिए व्यावहारिक/सिमुलेशन सुविधाओं सहित वैश्विक मानकों की साइबर सुरक्षा संबंधी एक आधुनिक, स्टेट-ऑफ-आर्ट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। यह एसएलडीसी/आरएलडीसी और विद्युत क्षेत्र में अन्य संवेदनशील डोमेन में संबंधित तकनीशियनों / अधिकारियों की तैनाती के लिए साइबर सुरक्षा में व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा, और
- ग्रिड कनेक्टेड मोड में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, एसपीएफ़/सौर/पवन/बायोमास/बायोगैस आदि के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करना।

उपर्युक्त के अलावा, एनपीटीआई के प्रबंधन को सलाह दी गई है कि वे बाजार की आवश्यकता के अनुसार अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करें, अपनी अध्ययन सूची में

नए पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल करें, प्रत्येक संस्थान के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करें जो अपने संबंधित अंचलों में पणधारियों की आवश्यकता के अनुसार नए पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन करे/सलाह दे और कमजोर प्रदर्शन के कारण का पता लगाने के लिए एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण करें।

उपर्युक्त उपक्रमों के परिणामस्वरूप संस्थान के प्रदर्शन बेहतर होने की आशा है और मंत्रालय पूंजीगत परिसंपत्तियों/प्रशिक्षण अवसंरचना के सृजन संबंधी परिव्यय द्वारा इसकी सहायता करेगा।

इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, वर्ष 2021-22 में आवंटित निधियों का सोद्देश्य उपयोग करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की प्रशिक्षण आवश्यकताएं प्रभावित न हो।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

## सिफारिश संख्या 12

***<u>स्मार्ट ग्रिड</u>***

समिति यह नोट करती है कि स्मार्ड ग्रिड्स के लिए 2021-22 हेतु केवल 40 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। राजकोषीय वर्ष 2020-21 हेतु भी यह राशि 40 करोड़ रुपये थी जिसे संशोधित करके कम अर्थात 20 करोड़ रुपये कर दिया गया। तथापि 2019-2020, 2018-19 और 2017-18 हेतु वास्तविक व्यय कम अर्थात क्रमशः 6.10 करोड़ रुपये, 7.13 करोड़ रुपये और 3.07 करोड़ रुपये रहा है। समिति इस शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय कार्य-निष्पादन से प्रसन्न नहीं है। अतः, इस योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा स्मार्ट ग्रिड हेतु निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे कि इस परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके।

## सरकार का उत्तर

एनएसजीएम निधियों का उपयोग परियोजना कार्यान्वयन यूटिलिटियों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। तथ्य यह है कि मार्च, 2020 के बाद से, कोविड -19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन ने भी कार्यान्वयन यूटिलिटियों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया। चूंकि फील्ड कार्यान्वयन में देरी देखी

गई है जिसके कारण यूटिलिटियों के दावों में देरी हुई है, परिणामस्वरूप कम व्यय हुआ है। तथापि, एनएसजीएम और एमओपी में नियमित समीक्षा के माध्यम से परियोजनाओं के तेज गति से कार्यान्वयन और निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

## समिति की टिप्पणियां

**(कृप्या प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 8 देखें )**

### सिफारिश संख्या 13

***<u>स्मार्ट मीटर</u>***

समिति यह नोट करती है कि पारंपरिक विद्युत मीटरों की तुलना में स्मार्ट मीटर के कई लाभ हैं। स्मार्ट मीटर ऊर्जा के उपयोग को रियल टाइम/15 मिनट के अंतराल (मापन योग्य) को रिकॉर्ड कर सकता है और लगातार कंपनियों को डाटा प्रेषित कर सकता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मार्ट मीटर से कंपनी और घर/व्यवसाय के मध्य द्विपक्षीय संप्रेषण संभव होता है और साथ ही साथ ऑनलाइन ऊर्जा लेखापरीक्षा इत्यादि में भी सहायता मिलती है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता की बिजली की खपत की निगरानी करने और इसे विनियमित करने में भी सहायता कर सकता है जिससे कि वे बिजली के बिलों पर बचत कर सकें। इन लाभों के कारण समिति देशभर में यथाशीघ्र स्मार्ट मीटर लगाए जाने का समर्थन कर रही है। समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि मंत्रालय भी अगले 3 वर्षों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इस समय-सीमा को राज्य विशिष्ट कारणों से 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है और इस संबंध में निर्णय राज्य विनियामक आयोग द्वारा लिया जाएगा। समिति को विश्वास है कि स्मार्ट मीटरिंग से न केवल वितरण कंपनियों की बिलिंग कलेक्शन बढ़ेगी अपितु अंतिम उपभोक्ता भी बिजली पर होने वाले अपने व्यय को प्रबंधित करने में सशक्त होगा। यह स्थिति दोनों पक्षों के लिए लाभकारी प्रतीत होती है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को स्मार्ट मीटरिंग अभियान को समयबद्ध मिशन मोड के रूप में लेना चाहिए जैसा कि ग्रामीण विद्युतीकरण और परिवारों को बिजली का कनेक्शन प्रदान करने के मामले में किया गया है।

समिति यह नोट कर आश्चर्यचकित है कि स्मार्ट मीटरिंग के लिए वर्ष 2021-22 हेतु निधियां आबंटित नहीं की गई हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में भी केवल 10 लाख रुपये का सांकेतिक आबंटन किया गया था। अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि स्मार्ट मीटरिंग से संबंधित कार्य को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस कार्य को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए तथा इस कार्य हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित की जाएं जिससे कि यह उपभोक्ता अनुकूल योजना वास्तव में शुरू की जा सके।

**सरकार का उत्तर**

एनपीएमयू, एनएसजीएम के तहत स्वीकृत स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं में स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। व्यय कार्यान्वयन यूटिलिटियों के दावों से जुड़ा हुआ है। प्रीपेड मॉडल पर स्मार्ट मीटरिंग को सुधार संबद्ध वितरण स्कीम में लिया जा रहा है जो इस मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन है। प्रस्तावित "संशोधित सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध वितरण क्षेत्र स्कीम" में वितरण प्रणाली-उपभोक्ताओं, फीडरों और वितरण ट्रांसफार्मरों को कवर करते हुए उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) के एंड-टू-एंड तकनीकी समाधान की शुरुआत कर, एटी एंड सी हानियां  कम करने के लिए मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण में मानव इंटरफ़ेस  समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। यह उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर और डीटी और फीडरों के लिए संचारी मीटर संस्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगा जिसे एएमआई तंत्र के साथ एकीकृत किया जाना है। प्रस्तावित स्कीम के अंतर्गत 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाने की संभावना है जिनमें से दिसंबर, 2023 तक लगभग 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव है। निजी भागीदारी को शामिल करते हुए, पीपीपी मोड (डीबीएफओओटी) में ऐसी संस्थापना पर और बल दिया गया है, जो न केवल निजी क्षेत्र के लिए निवेश के अवसर उत्पन्न करेगा बल्कि डिस्कॉमों को बड़ा निवेश कर सकने के लिए लिए वित्तीय स्थान भी प्रदान करेगा।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

**समिति की टिप्पणियां**

**(कृप्या प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 11 देखें )**

**सिफारिश संख्या 14**

समिति उत्तर प्रदेश में अगस्त, 2020 के दौरान 1.5 लाख समार्ट मीटर वाले घरेलू कनेक्शनों को हटाए जाने की घटना के वास्तविक कारणों के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर को नोट कर चिंतित है। साक्ष्य के दौरान समिति को बताया गया कि ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा इस घटना की जांच की गई और कनेक्शन एचईएस (हेड एंड सिस्टम) से हटाए जा रहे हैं और इसे अब एमडीएम पर ले जाया गया है जो कि ज्यादा बेहतर है। आगे यह भी बताया गया कि अभी तक वे साइबर सुरक्षा संबंधी पहलू या जानबूझकर पहुँचाई गई अन्य किसी हानि से संबंधित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं तथा ईईएसएस से इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। चूंकि देश में स्मार्टग्रिड और स्मार्ट मीटरिंग प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर आगे ले जाने का निर्णय लिया गया है, अतः समिति की राय है कि यदि हमारे पास समय पर इनका समाधान करने के लिए कोई त्रुटिरहित योजना नहीं है तो ऐसे मामलों से ऊर्जा क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो सकता है। चूंकि समिति का विश्वास है कि विद्युत प्रणाली की साइबर सुरक्षा का मामला बेहद महत्वपूर्ण है, अतः यह समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस मामले को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए और इस संबंध में प्रभावी और पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने चाहिए।

**सरकार का उत्तर**

12 अगस्त 2020 की भारी संख्या में कनेक्शन काटने की घटना ने स्मार्ट मीटर स्थापना को बाधित कर दिया है; इसका मुख्य कारण "लक्ष्य समूह के स्थान पर सभी समूहों पर कमांड का निष्पादन' और एमडीएमएस (मीटर डेटा प्रबंधन प्रणाली) के स्थान पर एचईएस (हेड एंड सिस्टम) से उत्पन्न कमांड बताया जा रहा है। यूपी एएमआई तंत्र का सुरक्षा ऑडिट एसटीक्यूसी के माध्यम से किया जा रहा है और अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है। ईईएसएल इस प्रणाली के लिए यूएटी कर रहा है। यह ध्यान दिया जाए कि साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित खंड (खंड 3.7 और 3.8) जनवरी 2021 में एचएमओएसपी (आई/सी) द्वारा विधिवत अनुमोदित ओपेक्स मॉडल पर एएमआई सेवा प्रदाता (एएमआईएसपी) की नियुक्ति के लिए मानक बोली दस्तावेजों में उपयुक्ततः शामिल किए गए हैं जो https://www.nsgm.gov.in/sites/default/files/AMISP-Contract-January-2021.pdf पर उपलब्ध हैं।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

**समिति की टिप्पणियां**

**(कृप्या प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 14 देखें )**

## सिफारिश संख्या 15

***<u>राष्ट्रीय विद्युत नीति</u>***

समिति यह नोट करती है कि वर्तमान राष्ट्रीय विद्युत नीति वर्ष 2005 में स्वीकार की गई थी। इसका उद्देश्य सभी परिवारों को बिजली की पहुँच और उपलब्धता सुनिश्चित करना, विद्युत की मांग को पूरा करना, प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता को हजार से अधिक तक बढ़ाना इत्यादि जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करना है। समिति यह पाती है कि चूंकि राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 के वर्णित उद्देश्यों में से अधिकांश को प्राप्त कर लिया गया है, अतः अब इसमें तेजी से बदलते विद्युत क्षेत्र की आकांक्षाएं, चुनौतियां और समीकरण परिलक्षित नहीं होते हैं। इसलिए समिति का पुरजोर रूप से मानना है कि एक नई राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाई जानी चाहिए। साक्ष्य के दौरान सचिव, विद्युत मंत्रालय ने इस प्रकार पर सहमति दी और समिति को बताया कि मंत्रालय इस नीति में संशोधन करने पर विचार कर रहा है। तथापि, समिति यह सिफारिश करती है कि मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति में थोड़े बहुत संशोधन करने की बजाए विद्युत क्षेत्र के बदलते हुए परिदृश्य की आवश्यकताओं के अनुसार एक नई नीति तैयार की जाए जिससे कि यह समग्र विद्युत क्षेत्र के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सके और इसकी भावी वृद्धि और विकास के लिए सुसंगत मार्ग प्रशस्त कर सके।

## सरकार का उत्तर

दिनांक 12.4.2021 को राष्ट्रीय विद्युत नीति 2021 का मसौदा तैयार करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2021 तैयार करने और उसकी सिफारिश करने के लिए मई, 2021/जून 2021 में राज्यों के प्रतिनिधियों सहित सभी पणधारियों के साथ बातचीत की गई थी। दिनांक 27.04.2021 को परिचालित एनईपी, 2021 के मसौदे पर विभिन्न पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की जा रही है। समग्र रूप से विद्युत क्षेत्र की भावी उन्नति और विकास को ध्यान में रखते हुए, विशेषज्ञ समिति वर्तमान एनईपी में संशोधन करने पर काम कर रही है। आशा है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2021 तक एनईपी, 2021 का मसौदा प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

## समिति की टिप्पणियां

## (कृप्या प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 17 देखें )

### सिफारिश संख्या 16

***<u>विद्युत संशोधन विधेयक</u>***

समिति यह नोट करती है कि सरकार का लक्ष्य 2024-25 तक राष्ट्रीय औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत राजस्व वसूली के अंतर को शून्य तक लाने का है। समिति को बताया गया है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के दौरान उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति कंपनी का चयन करने का विकल्प देने और अन्य मुद्दों से निपटने के लिए प्रारूप विद्युत संशोधन विधेयक 2021 को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे कैबिनेट को अनुमोदन हेतु भेज दिया जाएगा। समिति सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत करती है और इसे विश्वास है कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। तथापि, समिति यह चाहती है कि एससीएस-एआरआर अंतर को कम करने के लिए प्रणाली को और अधिक दक्ष बनाया जाए और एटीएंडसी हानियों को काफी कम किया जाए जिससे कि सामान्य अवधि के दौरान प्रशुल्क को बढ़ाने के आवश्यकता न पड़े।

### सरकार का उत्तर

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2021 के मसौदे में वितरण व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा शुरू करने का प्रावधान है और ये एक ही आपूर्ति क्षेत्र में कई वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने की अनुमति देता है। उपभोक्ताओं के पास बिजली के आपूर्तिकर्ता का चयन करने का विकल्प होगा। प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- एक ही आपूर्ति क्षेत्र में कई वितरण कंपनियों को कार्य करने की अनुमति होगी
- उपभोक्ता के लिए किसी भी वितरण कंपनी को चुनने का विकल्प होगा
- वितरण कंपनियां अपनी या किसी अन्य कंपनी की वितरण प्रणाली का प्रयोग कर सकती हैं: भेदभावरहित खुली पहुंच प्रदान की जाएगी।

- एसईआरसी प्रत्येक श्रेणी के लिए सीलिंग टैरिफ निर्धारित करेगा - डिस्कॉमों को सीलिंग टैरिफ से कम पर विद्युत के विक्रय की स्वतंत्रता होगी। इससे उपभोक्ता सेवा में नवाचार हो सकेगा।
- विद्युत की आपूर्ति के लिए आयोग के साथ पंजीकरण
- आपूर्ति की बाध्यता: आपूर्ति के क्षेत्र में सभी पंजीकृत कंपनियों के लिए।

संशोधन के अन्य क्षेत्रों में विनियामक आयोग और एपीटीईएल का सुदृढ़ीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति न करने पर जुर्माना आदि शामिल हैं।

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021 का मसौदा मंत्रिमंडल नोट दिनांक 10.03.2021 को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए आठ मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया था। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, मसौदा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021 में संशोधन किए गए हैं और इसे विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) को पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद मसौदा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021 संसद के अगले सत्र में पेश करने की योजना है।

**टैरिफ नीति में संशोधन के माध्यम से एटी एंड सी हानियां कम करने के लिए प्रस्तावित कदम:**

(i) अधिकांश क्षेत्रों में वितरण प्रणालियां एकाधिकार प्राप्त हैं - कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जो सामान्य रूप से कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित करने का साधन है। अत: यह सुनिश्चित करना विनियामक फ्रेमवर्क का उत्तरदायित्व है कि सेवा प्रदाता की अकुशलता का बोझ उपभोक्ताओं पर न डाला जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की अकुशलता का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाए, राज्य आयोग एटी एंड सी हानि में कमी की एक ट्रैजेक्ट्री निर्धारित करेगा, और दी गई ट्रैजेक्ट्री से अधिक एटी एंड सी हानि को आगे टैरिफ में नहीं जोड़ा जाएगा।

एटी एंड सी हानियों के लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने की अवधि का निर्णय एटीएंडसी हानियों के वर्तमान स्तर और तकनीकी हानियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। तकनीकी हानियों का अनुमान वितरण प्रणाली की विशेषताओं के आधार पर किया जाए जिनमें उच्च तनाव से अल्प तनाव वाले तारों की लंबाई का अनुपात, उच्च और अति उच्च

वोल्टेज पर आपूर्ति की गई ऊर्जा का अनुपात, विद्युत की खपत की तीव्रता, आदि शामिल हैं।

जहां टैरिफ में शामिल की गई एटी एंड सी हानियां 20% या अधिक हैं, वहां ट्रैजेक्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि इसे अधिकतम पांच वर्षों में 15% तक कम किया जाए। जहां टैरिफ में शामिल की गई एटी एंड सी हानियां 20% से कम लेकिन 15% से अधिक हैं, वहां ट्रैजेक्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि इसे तीन वर्ष के भीतर 15% तक कम किया जाए। इसके अतिरिक्त, एटी एंड सी हानियों को 15% एटीएंडसी हानियां प्राप्त करने की संदर्भ तिथि के पांच वर्षों के भीतर 10% के स्तर तक कम किया जाएगा। राज्य आयोग एटी एंड सी हानियों को 10% से कम करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करे।

**आपूर्ति की औसत लागत के संबंध में टैरिफ नीति में प्रस्तावित संशोधन :**

(ii) किसी भी उपभोक्ता को उक्तानुसार अनुमोदित आपूर्ति की लागत से 20% से अधिक का भुगतान करने को नहीं कहा जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि टैरिफ उत्तरोत्तर विद्युत की आपूर्ति की लागत को दर्शाए, उपयुक्त आयोग एक ऐसा रोडमैप अधिसूचित करेगा कि टैरिफ को आपूर्ति की औसत लागत के ± 20% के भीतर ले आया जाए। क्रॉस सब्सिडी में क्रमिक कमी के दृष्टिगत रोड मैप में मध्यवर्ती लक्ष्य होंगे। यह रोडमैप इस नीति के लागू होने के एक वर्ष के भीतर अधिसूचित किया जाएगा।

राज्य सरकारें अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार यथोचित सीमा तक सब्सिडी दे सकती हैं। सभी के लिए क्रास सब्सिडी देने की प्रक्रिया की अपेक्षा प्रत्यक्ष सब्सिडी निर्बल वर्ग के उपभोक्ताओं की सहायता का एक बेहतर तरीका है। क्रॉस सब्सिडी के विकल्प के रूप में, राज्य सरकार के पास विद्युत शुल्क के तंत्र के माध्यम से संसाधन जुटाने और केवल जरूरतमंद उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष सब्सिडी देने का विकल्प है। सब्सिडी को प्रभावी ढंग से लक्षित करने का यह एक बेहतर तरीका है।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

## सिफारिश संख्या 17

समिति आगे यह इच्छा व्यक्त करती है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति कंपनी का चयन करने का विकल्प देने हेतु विद्युत अधिनियम में सुधार

करते समय, इस संबंध में समिति द्वारा विद्युत संशोधन विधेयक 2014 संबंधी चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में व्यक्त की गई आशंकाओं और समस्याओं पर विचार किया जाए और उनका समाधान किया जाए।

**सरकार का उत्तर**

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 लोकसभा में दिनांक 9.12.2014 को पेश किया गया था। विधेयक को बाद में जांच और रिपोर्ट के लिए ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति ने दिनांक 7.5.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधन के संशोधित मसौदे पर पणधारियों के साथ परामर्श किया गया था। प्रक्रिया के दौरान विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श/परामर्श भी किया गया था।

तथापि, 16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 व्यपगत हो गया।

बजट घोषणाएं 2021-22 - दिनांक 01.02.2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 में विद्युत उपभोक्ताओं को विकल्प देने के लिए निम्नलिखित घोषणा की गई है:

*"देश भर में वितरण कंपनियां सरकारी अथवा निजी एकाधिकार प्राप्त हैं। आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान किए जाएं। उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से चयन हेतु विकल्प देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी।"*

बजट घोषणाओं के अनुसरण में, राज्य सरकारों, विद्युत विनियामकों और उद्योग के खिलाड़ियों सहित विभिन्न पणधारियों के साथ कई बार परामर्श किए गए। प्रस्तावित सुधार पर दिनांक 3.3.2021 को आयोजित सलाहकार समिति की बैठक में भी चर्चा की गई जिसमें माननीय संसद सदस्यों ने प्रस्ताव का स्वागत किया।

तदनुसार, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी मसौदा मंत्रिमंडल नोट दिनांक 10.03.2021 को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए आठ मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया था। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर मसौदा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021 में संशोधन किए गए हैं और इसे विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) को पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद मसौदा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के मानसून सत्र में पेश करने की योजना है।

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2014 के अंतर्गत परिकल्पित कैरिएज एंड कंटेंट के पृथक्करण का प्रस्ताव विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 के 16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण व्यपगत हो जाने के कारण हटा दिया गया है।

[विद्युत मंत्रालय, ओ एम संख्या 10/1/2021(भाग-एक), दिनांक:18/01/2022]

**समिति की टिप्पणियां**

**(कृप्या प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 11 देखें )**

## अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है ।

-शून्य-

## अध्याय चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

-शून्य-

## अध्याय पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

**नई दिल्ली;**
**15 मार्च, 2022**
**फाल्गुन 24, 1943 (शक)**

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,**
**सभापति,**
**ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति**

**परिशिष्ट-एक**

**ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 15 मार्च, 2022 को समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश**

समिति की बैठक 1030 बजे से 1100 बजे तक चली।

**उपस्थित**

**श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह - सभापति**

**लोकसभा**

2. श्री सुनील कुमार मंडल
3. श्री पी. वेलुसामी
4. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
5. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
6. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
7. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
8. श्री एस.सी. उदासी

**राज्य सभा**

9. श्री अजीत कुमार भुयान
10. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
11. श्री मुजीबुल्ला खान
12. श्री एस. सेल्वागनबेथी
13. श्री संजय सेठ
14. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

**सचिवालय**

1. डॉ. राम राज राय - संयुक्त सचिव
2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए लिया:

(i) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' संबंधी प्रतिवेदन।

(ii) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई' संबंधी प्रतिवेदन।

(iii) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी प्रतिवेदन।

(iv) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी प्रतिवेदन।

3. प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु पर चर्चा करने के पश्चात, समिति ने बिना किसी संशोधन/परिवर्तन के उपरोक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को स्वीकार किया। समिति ने सभापति को उपर्युक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए भी प्राअधिकृत किया।

*तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।*

**परिशिष्ट दो**

## (प्रतिवेदन के प्राक्कथन के अनुसार)

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

(i) सिफारिशों की कुल संख्या 17

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

क्रम सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 और 17

कुल : 17

प्रतिशत : 100%

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

शून्य

कुल : 00

प्रतिशत : 00%

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

शून्य

कुल : 00

प्रतिशत: 00%

(v) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

शून्य

कुल : 00

प्रतिशत : 00%